

क्रमांक 208/एलसी/वि.प्र./2010
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर- 462 003

भोपाल: दिनांक 29 जनवरी, 2013

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
----- कछार/परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
----- मध्यप्रदेश ।

✓ 2- उपसंचालक, डाटा सेंटर, भोपाल ।

विषय:- दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण ।

00

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 208/एल.सी./वि.प्र./2010 दिनांक 5 जनवरी 2013 के द्वारा दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों के संबंध में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का निर्धारण किया गया है। अनेक कार्यालयों से यह सूचित किया जा रहा है कि इस सूची में श्रमिक का उल्लेख नहीं है। कृपया उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर्मचारियों के पदों के वर्गीकरण का अवलोकन करें। इस सूची में कुली शब्द उल्लेखित है। सामान्यतः कुली शब्द का तात्पर्य ही a hired labourer, a carrier अर्थात् श्रमिक अथवा वजन उठानेवाला होता है। अतः कुली शब्द एवं श्रमिक शब्द एक ही है। अतः श्रमिक को कुली के समतुल्य मानकर आवश्यक कार्यवाही करें। चतुर्थ श्रेणी श्रमिक शब्द सम्मिलित समझा जावे।

सहपत्र-...

(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, भोपाल